राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

क्रमांकः प.14(81)(1)RSSB/अर्थना/कनि.अभि./पात्रता जांच/2021/689 दिनांकः 7.7.2021

–:: कार्यालय आदेश ::–

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड के लिए क्रमशः राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम–1973 यथा संशोधित एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड(सेवा) उप नियम (Bye Laws)–1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम–2014 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड के लिए कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (डिग्रीधारक) के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 31 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2 कुल 33 पदों पर भर्ती हेतु तथा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (डिप्लोमाधारक) के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 7 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 दिनांक 03.03.2020 जारी कर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (डिग्रीधारक) के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 29.11.2020 (प्रथम पारी) को तथा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (डिप्लोमाधारक) के पदो पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 29.11.2020 (द्वितीय पारी) को आयोजित करवाई गई थी। बोर्ड द्वारा दिनांक 07.04.2021 को परीक्षा परिणाम जारी कर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिये सूचीबद्ध किया गया है। **इन अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा दिनांक 09.04.2021 को जारी कार्यालय आदेश के माध्यम से पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित किया गया था परन्तु कोराना महामारी के प्रकोप के कारण उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम को बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 19.04.2021 द्वारा स्थगित किया गया था। अब इन अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन करवाये जाने हेतु सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16.07.2021 को कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड, ब्लॉक–A, IInd Floor, Meeting Hall, जयपुर– 302006 पर निर्धारित समय एवं स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होवें :–**

पद का नाम	अभ्यर्थियों के रोल नम्बर	दिनांक एवं समय
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)(डिग्री)	**(NTSP)** 100245 100838 100843 100946 101304 101404 102194 102219 102238 102301 102598 102678 103833 104054 104244 104353 104456 105441 105468 105623 105702 105775 107386 107598 110633 114819 115083 115333 115349 115475 115739 115861 116219 116649***	16.07.2021 10.00 AM
	116668 116822 117275 118023 118590 118912 119576 120036 120336 120464 120468 120668 120821 121808 122627 123176*** **(TSP)** 107136 107598 120637 123169***	16.07.2021 2.00 PM
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)(डिप्लोमा)	**(NTSP)** 201648 202259 202349 202588 203613 203955 204206 205509 205745 205807 205953 206252 206560***	

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावें :–

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर "अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश" एवं कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2020 के लिये दिनांक 03.03.2020 को जारी विज्ञापन संख्या 01/2020 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।
2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग–अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नही की जायेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी **मूल प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वंय का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।**
4. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण–पत्रो एवं दस्तावेजों की स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देशएवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड़ की बेवसाइटwww.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा उन्होनें परीक्षा शुल्क रूपये 250/– ही जमा करवाये है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर आवें।
7. **कोरोना (COVID-19) महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना (COVID-19) जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित होवे।**

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष